प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–19.06.2024 को विभागीय योजनाओं की वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही–

सर्वप्रथम समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों/ अभियंताओं का स्वागत किया गया एवं विभागीय योजनाओं यथा–"हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम एवं "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" योजनाओं की समीक्षा की गई।

"हर खेत तक सिंचाई का पानी":–

1. विगत प्रत्येक सप्ताह किये जा रहे समीक्षा बैठक में लगातार निदेशित किया गया है कि 15 अगस्त, 2024 तक निर्धारित लक्ष्य (लगभग 3500 से अधिक योजना) के अनुसार सभी चिन्हित योजनाओं का डी0पी0आर0 अवश्य तैयार कर ली जाय।

2. डी0पी0आर0 की प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा इस सप्ताह एक भी प्राक्कलन विभाग को समर्पित नहीं किया गया। प्रक्षेत्रान्तर्गत मधुबनी में उद्वह सिंचाई एवं चेक डैम की काफी योजनाएँ चिन्हित हैं जिसका डी0पी0आर0 तैयार किया जा सकता है परन्तु इस सप्ताह की प्रगति चिन्ताजनक है। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई और अगला साप्ताहिक बैठक से पूर्व कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कार्रवाई किये जाने का निदेश संयुक्त सचिव को दिया गया।

3. लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर में 19 कनीय अभियंता एवं 11 सहायक अभियंता कार्यरत होने के बावजूद इस सप्ताह अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा एक भी डी0पी0आर0 विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। पिछले सप्ताह भी एक भी डी0पी0आर0 समर्पित नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि बड़े–बड़े चेक–डैम का डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है इसलिए कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा है। 19 कनीय अभियंता और 11 सहायक अभियंता होने के बावजूद कार्य की प्रगति शून्य होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें चेतावनी/हिदायत दी गयी।

4. अधीक्षण अभियंता, दरभंगा द्वारा इस सप्ताह एक भी प्राक्कलन विभाग को समर्पित नहीं किया गया, न ही एक भी योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया और न ही बैठक में तैयारियों के साथ उपस्थित हुए। इस हेतु इनपर कारण–पृच्छा निर्गत करने एवं दिनांक–05.06.2024 से दिनांक–19.06.2024 तक का वेतन अवरूद्ध किये जाने का निदेश संयुक्त सचिव को दिया गया।

5. कार्यपालक अभियंता, पटना द्वारा 10 कनीय अभियंता एवं 03 सहायक अभियंता प्रमंडल में पदस्थापित रहने के बावजूद इस सप्ताह एक भी प्राक्कलन विभाग को समर्पित नहीं किया गया। इनके प्रति भी घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। दिनांक–05.06.2024 से दिनांक–19.06.2024 तक का वेतन अवरूद्ध किये जाने का निदेश संयुक्त सचिव को दिया गया।

6. अधीक्षण अभियंता, पटना द्वारा इस सप्ताह एक भी प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध न कराने पर इनके प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

7. अधीक्षण अभियंता, गया द्वारा 731 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 54 प्राक्कलन विभाग को प्राप्त कराया गया है। लघु सिंचाई अंचल में 27 कनीय अभियंता एवं 08 सहायक अभियंता होने के बावजूद इतने कम प्राक्कलन समर्पित करने पर इनके प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। अधीक्षण अभियंता, गया द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले सप्ताह से प्रत्येक सप्ताह 20–25 DPR बनाकर विभाग को समर्पित करेंगे। उनके द्वारा बताया गया कि इस जिला में कई योजनाएँ कार्यान्वय योग्य नहीं हैं। इसपर जाँच/Review कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को दिया गया।

8. कार्यपालक अभियंता, गया का डी0पी0आर0 तैयार करने की प्रगति अच्छी है। उनके द्वारा बताया गया कि ग्रामीण नक्शा नहीं मिलने के कारण स्थल निरीक्षण में काफी अधिक समय लग जा रहा है। इस पर सभी अभियंताओं को निदेश दिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार के वेबसाईट से ग्रामीण नक्शा Download किया जा सकता है जिसका लिंक विभागीय ग्रुप में शेयर किया जा चुका है।

9. अधीक्षण अभियंता, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जो योजना कार्यान्वयन योग्य नहीं है उसका स्थल निरीक्षण किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन भेजी जाए। अधीक्षण अभियंता, मुंगेर का डी0पी0आर0 तैयार करने की प्रगति संतोषजनक है।

10. कार्यपालक अभियंता, जमुई का डी0पी0आर0 भेजने की प्रगति पिछले सप्ताह बहुत अच्छी थी लेकिन इसबार प्रगति नहीं हुई है। अगले सप्ताह तक 16 डी0पी0आर0 भेजने का आश्वासन दिया गया और बताया गया कि ग्रामीण नक्शा नहीं मिलने के कारण प्राक्कलन बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

<u>अन्यान्यः–</u>

11. प्रत्येक बैठक में प्रायः यह देखा जाता है कि विभाग को उपलब्ध डाटा और बैठक में उपस्थित अभियंताओं के पास डाटा का सही मिलान नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रीय अभियंताओं के पास उपलब्ध डाटा अद्यतन होती है।

महोदय द्वारा सभी अभियंताओं को निदेश दिया गया कि बैठक से एक दिन पूर्व अप. 05:00 बजे तक जो डाटा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, उसी डाटा पर विचार किया जाएगा।

12. सभी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को प्रत्येक सप्ताह दो–दो डी0पी0आर0 निर्माण करने हेतु निदेशित किया जा चुका है। साथ ही लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर, भागलपुर एवं दरभंगा अन्तर्गत सभी जिले, जहाँ छोटी–छोटी योजनाएँ हैं वहाँ के सभी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को तीन–तीन डी0पी0आर0 बनाने हेतु निदेशित किया जा चुका है। उपस्थित सभी अभियंताओं को निदेशित किया गया कि इसपर अमल करना सुनिश्चित करेंगे।

13. उपस्थित सभी अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन भी योजनाओं का कार्यान्वयन संभव न हो उसका विस्तृत प्रतिवेदन पूर्ण तथ्यों के साथ अविलंब विभाग को मुख्य अभियंता के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विकल्प के रूप में प्रस्तावित योजना का प्राक्कलन बनाकर विभाग को उपलब्ध करायें ताकि निर्धारित सिंचित योग्य भूमि को सिंचित किया जा सके।

14. योजना के कार्यान्वयन के दौरान काटी गई मिट्टी के संबंध में बार–बार शिकायत प्राप्त हो रही है। प्रत्येक पदाधिकारी/अभियंता को यह निदेश दिया गया कि कार्यस्थल के सूचना पट्ट पर यह दर्शाना आवश्यक है कि मिट्टी किस सरकारी भूमि/स्थल पर रखा जाएगा। यह भी ध्यान देना है कि मिट्टी किसी सरकारी योजना पर रखा जा रहा है।

साथ ही सभी अभियंताओं को निदेश दिया गया कि डी0पी0आर0 बनाते समय इसमें इस बात का उल्लेख अवश्य करें कि काटी गई मिट्टी किस स्थल पर रखी जाएगी।

"मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना":–

15. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विगत सप्ताह किये गये बैठक में यह निदेश दिया गया कि "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" के तहत निजी नलकूप का अधिष्ठापन माह दिसंबर, 2024 तक करना है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अंचलवार शिविर लगाकर भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) एवं जाति प्रमाण–पत्र सभी आवेदकों हेतु अविलंब निर्गत कराया जाय।

16. प्राप्त जानकारी के अनुसार अबतक 23 जिलों में शिविर लगाने की सूचना प्राप्त है, जबकि 08 ऐसे जिले हैं जहाँ योजनाओं की संख्या कम या अन्य कारणों से शिविर का आयोजन नहीं किया जाना है। शेष 07 ऐसे जिले हैं जहाँ शिविर का आयोजन करना अतिआवश्यक है, परंतु अबतक शिविर लगाने की सूचना अप्राप्त है, इनको निदेश दिया जाता है कि अविलंब संबंधित जिला पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर शिविर का आयोजन करें एवं इससे विभाग को अवगत करायें।

17. सभी जिले जहाँ शिविर का आयोजन किया जाना है, उनको निर्देश दिया जाता है कि विभाग को इसके Progress Report से प्रत्येक दिन अवगत कराया जाय। Progress Report का Format अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल्द ही सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

18. भू–धारकता प्रमाण–पत्र (LPC) की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन LPC के अलावे पारिवारिक सूची के आधार पर

ऑफलाईन LPC भी निर्गत कराने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया। इस संदर्भ में यथा आवश्यक पोर्टल पर भी सुधार करने का निर्देश विभाग को दिया गया।

19. कई जगह से ये शिकायतें प्राप्त हो रही है कि ''मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना'' से संबंधित पोर्टल काफी Slow चल रही है, जिससे अन्य समस्याओं के साथ ही Payment की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। सचिव, लघु जल संसाधन विभाग इन तकनीकी समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

20. कुछ जिले यथा–कैमूर, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, लखीसराय, रोहतास एवं जमुई में ''मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना'' के तहत प्राप्त आवेदन का सर्वेक्षण कुछ संख्या में छूटे हुए पाये गये। संबंधित सभी जिले के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलंब सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को अवगत करायें।

''राजकीय नलकूप'':–

21. प्रत्येक कार्यपालक अभियंता को ''राजकीय नलकूप'' के संबंध में निदेश दिया गया कि प्रत्येक जिले में कम–से–कम वैसे 10–10 राजकीय नलकूपों की सूची विभाग को भेजें जिसको शीघ्र ठीक किया जा सकता है, ताकि अविलम्ब उसका Compilation कर आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ ही पंचायतवार जहाँ–जहाँ उपयोगिता प्रमाण–पत्र Pending है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई है।

ह0/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 799(मो0) /पटना, दिनांक– 25.6.24

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, (प्रभारी) नलकूप कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/06/24

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 799(मो0) /पटना, दिनांक– 25.6.24

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/06/24

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 799(मो0) /पटना, दिनांक– 25.6.24

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव/अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/06/24

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 799(मो0) /पटना, दिनांक– 25.6.24

प्रतिलिपिः–सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25/06/24

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।